न्यायालय सिविल जज जू.डि., बांसी, सिद्धार्थनगर

मूल वाद संख्या 0000679/07

रामजीत प्रति कोमल

23.08.16

पत्रावली वाद विन्दु संख्या 3 पर आदेश हेतु पेश हुयी।

निस्तारण वादबिन्दु संख्या 3

वादबिन्दु संख्या 3 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वाद अल्प मूल्याकिंत है तथा प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है । उक्त वादबिन्दु प्रतिवादी के कथनों पर आधारित है अतः इसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी के विद्धान अधिवक्ता का कथन है कि वादी द्वारा वाद का अत्याधिक कम मूल्याकंन किया गया है। जबकि वादी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्क का दृढ़तापूर्वक विरोध किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद भूमि ए.बी.सी.डी. के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। वादी द्वारा वाद का मूल्याकंन कीमत जमीन तहती 600/—रू के आधार पर करते हुये आवश्यक न्याय शुल्क का संदाय किया गया है, जो न्यायालय की राय में पर्याप्त नही है। वादग्रस्त भूमि की लम्बाई,चौडाई व क्षेत्रफल को द्रष्टिगत रखते हुये न्यायालय की राय में वाद मूल्यांकन वादग्रस्त भूमि की कीमत 10,000/—रू पर किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या 3 प्रतिवादी के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

वादविन्दु संख्या 3 प्रतिवादी के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है। वादी आदेश के परिपेक्ष्य में वाद का सम्यक मूल्याकन करने हेतु आवश्यक उपक्रम अन्दर नियत तिथि करे। पत्रावली दिनांक 20.09.16 को वास्ते अग्रिम आदेश पेश हो।

सि.जज जू0डि0, बांसी